

“गांधी - इरविन समझौता (5 मार्च, 1931)”

गांधी इरविन समझौता को 'दिल्ली पैक्ट' के नाम से भी जाना जाता है। इरविन ने भारत सचिव के सहयोग से इंग्लैण्ड में 12 सितम्बर, 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। कांग्रेस ने अपने को इस सम्मेलन से अलग रखने का निर्णय किया। इरविन ने 26 जनवरी, 1931 को गांधीजी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेजबहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरम्भ हुई।

- 5 मार्च 1931 को अन्ततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते का प्रारूप हर्बर्ट स्मर्सन ने तैयार किया था। समझौते की शर्तें इस प्रकार थीं -
1. कांग्रेस व उसके कार्यकर्तियों की जस्त सम्पत्ति वापस की जाय।
 2. सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाय।
 3. हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनैतिक कैदियों को मुक्त किया जाय।
 4. अफीम, शराब एवं विदेशी वस्तुओं की दुकान पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाये।
 5. समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे स्वयं स्वयं करने की हूट दी जाये।

गांधीजी ने कांग्रेस की ओर से निम्न शर्तें स्वीकार की -

1. सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जायेगा।
2. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
3. पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जाँच की माँग वापस ले ली जायेगी।

4. नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जायेगा।

इस समझौते को गांधीजी ने अत्यन्त महत्व दिया परन्तु नेहरु व सुभाषचन्द्र बोस ने यह कहकर मृदु आलोचना की कि गांधीजी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। के० एम० मुंशी ने इस समझौते को भारत के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधीजी तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर लटकने से नहीं बचा सके। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। गांधीजी को कांग्रेस में कामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। बड़ी कठिनाई से इस समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की में युवाओं ने गांधीजी को 'काले शण्डै' दिलाये। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 'सरदार वल्लभ भाई पटेल' ने किया। गांधी - इरविन पैक्ट के स्वीकार किये जाने के साथ-साथ इसी अधिवेशन में 'मौलिक अधिकार और कर्तव्य' शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। इसी समय गांधीजी ने कहा था कि "गांधी मर सकते हैं, परन्तु गांधीवाद नहीं।"